

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम. के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक-निगरानी 2761-तीन/2013, बिरुद्ध आदेश  
दिनांक 20/12/1985, द्वारा पारित कलेक्टर जिला टीकमगढ़, प्रकरण  
कमांक 184/स्व0 निग0 85-86

1- बब्लू, हरिराम, दुर्जन तनय स्व0 मोहन चमार,

निवासी-ग्राम पचोर, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.....आवेदकगण

वनाम

1- म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़,

2- ठाकुरदास तनय कनई चमार,

निवासी-ग्राम बिलारीखेरा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

.....आवेदकगण


श्री राजेन्द्र पटैरिया अधिवक्ता, आवेदकगण

श्री अनिल पाठक, अधिवक्ता अनावेदक क0 02

:: आदेश ::

( पारित दिनांक- 7/10/2016 )

1- आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केबल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत कलेक्टर टीकमगढ़ जिला





द्वारा प्रकरण क्रमांक 184/स्व० निग०/85-86 में पारित आदेश दिनांक 20/12/1985 से ब्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया, कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 27/07/1983 को जंरिये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र के अनावेदक क्रमांक 02 से ग्राम बिलारी खेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 98/जु1 में से 1.619 , तथा खसरा नंबर 97 में से 0.385 हैक्टेयर भूमि कय की थी। जिसका प्रतिफल भी अनावेदक क्रमांक दो को प्रदान करके अपना नाम उपरोक्त बिक्रय पत्र के आधार पर तत्समय ही नामांतरण पंजी क्रमांक 34 पर पारित आदेश दिनांक 15/04/1985 के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया था। आवेदकगण कय दिनांक से ही वादभूमि पर काबिज चला आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा काफी लागत एवं श्रम लगाकर भूमि को उपजाऊ बना लिया है। उपरोक्त बिक्रय के करीब तीन साल बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर, बगैर पंजीयन पर प्रांभिक आदेश पारित किये स्वप्रेरणा निगरानी में लेकर वादभूमि को संहिता की धारा 165/7 (ख) के तहत पट्टा भूमि मानकर म०प्र० शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार खरगापुर के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 02 को सूचनापत्र जारी करने पर उनके द्वारा देरी केम्प में अपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक तथा पटवारी आदि के कथन अंकित किये बगैर ही मात्र प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 34 दिनांक 15/04/1984 पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। उपरोक्त आदेश में ना तो इस बात का कहीं भी उल्लेख है, कि किस दिनांक को किस प्रकरण क्रमांक के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 02 को पट्टा प्रदान किया गया था, ना ही इस बात का कहीं उल्लेख है कि, बिक्रेता को कब कितनी भूमि पट्टा पर किस सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राप्त हुई थी। कब भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाये बगैर ही जल्दबाजी में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है।

4- वादभूमि पर आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन आदेश पारित होने के करीब 28 साल बाद नायब तहसीलदार कुडीला द्वारा पारित आदेश दिनांक

*R/Jan*


*CM*

04/01/2013 के द्वारा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। इसके पूर्व आवेदकगण के नाम दर्ज थे। प्रश्नाधीन आदेश का राजस्व अभिलेख में 28 साल तक पालन ही नहीं किया गया है, ना ही उसके लिये कोई कार्यवाही करना रिकॉर्ड में दर्शित है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 में डिक्री या आदेश का पालन करने की अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकरण में आदेश पारित हुये करीब 30 साल हो चुके हैं, एसी स्थिति में आदेश का पालन 12 साल के अंदर न होने के कारण भी प्रश्नाधीन आदेश प्रभावहीन हो जाता है। ए आई आर 2001 एस सी 2967 में उपरोक्त ब्यवस्था प्रदान की गई है।

5- अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग काफी लंबे समय उपरांत किया है, जबकि न्याय दृष्टांत- 1994 आर० एन 392 - हा० कोर्ट, 2010 रानि 273 हा० कोर्ट , 2011 आर० एन० 426 एवं आर० एन० 2010 हा० कोर्ट 409 पूर्णपीठ में ब्यवस्था प्रदान की गई है कि, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग - आदेश की अबैधता , अनौचित्य तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिये -180 दिन के भीतर प्रयोग की जाना चाहिये। रविनारायण सिंह वनाम स्टेट ऑफ एम०पी०-2000 रानि 161 म०प्र० उच्च न्यायालय में ब्यवस्था प्रदान की गई है कि, स्वमेव पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निश्चित समय सीमा के अंदर करना चाहिये। 1988(1)म.प्र.वी.नो.261 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार ही ब्यवस्था प्रदान की गई है। जिस कारण से प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त बिबेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ बिचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/12/1985 एवं उसके आधार पर पारित सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं। आवेदकगण का नामांतरण पंजी क्रमांक 34 पर पारित आदेश दिनांक 15/04/1984 बहाल किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मंडल की यह निगरानी परिणाम दर्ज करके दा० द० हो।

R  
1/5

  
(एम.के.सिंह )

सदस्य

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश, ग्वालियर